बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवाद दर्ज करने पर पटना जिला के श्री कामता राय एवं श्री राजेश्वर राय को प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे किस्त की राशि का भुगतान हुआ

श्री कामता राय एवं श्री राजेश्वर राय, ग्राम-ख़ासपुर, प्रखंड-मनेर, जिला-पटना के द्वारा दिनांक-18.07.2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे किस्त की राशि का भुगतान नहीं होने का अलग-अलग परिवाद बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कराते हुए भुगतान का अनुरोध किया गया।

अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,दानापुर,पटना ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लोक प्राधिकार प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनेर को परिवाद के निवारण के लिए नोटिस निर्गत किया।

दिनांक-18.09.2021 को सुनवाई में प्रखंड विकास पदाधिकारी,मनेर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे किस्त की राशि का भुगतान दोनों लाभार्थियों को कर दिया गया है। परिवादियों ने भी इस पर सहमति व्यक्त की और उनकी शिकायत का शीघ्र निराकरण हो जाने के लिए लोक शिकायत निवारण कानून के प्रति आभार प्रगट किया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवाद दर्ज कर समाधान पाना बहुत ही आसान है

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18003456284 पर कॉल करें या वेबसाइट http://lokshikayat.bihar.gov.in/ पर जाएं